

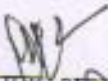
प्रतिवेदन

कार्य का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-549/।।(2) 14-49 (प्रा०अ०)/2013 दिनांक-29/01/2014 के द्वारा 2.50 किमी लम्बाई के लिए रु० 20.51 लाख प्रथम चरण के लिए प्राप्त हुई है। जनपद उत्तरकाशी उत्तराखण्ड का सीमान्त जनपद है। आवादी दूर-दूर है। दुरस्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। ताकि ग्रामों का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके। इस क्षेत्र में नगदी फसले जैसे-आलू, मटर, राजमा, अदरक, अरबी, सेब, चौलाई फाफरा आदि प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। सम्पर्क मोटर मार्ग न होने के कारण इन नगदी फसलों का समय पर नजदीकी मण्डी में खच्चरों से डुलान करना पड़ता है। जिसके कारण उत्पादन की लागत बढ़ने के साथ-साथ अधिकांश फसल नष्ट हो जाती है। जिससे कास्तकारों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस मार्ग के बन जाने से गोरुण ग्राम को लाभ मिलेगा। यह मार्ग उपरोक्त शासनादेश के क्रम में 2.50 किमी० लम्बाई में स्वीकृत है।

अतः उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मार्ग में पड़ने वाली 0.8925 हे० आरक्षित वन भूमि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो.नि.वि. चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी को हस्तान्तरित करने की कृपा करें।


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।